मु.नं.–30 / 2020 GCMS ID-2020/00060 ता.रजु–11.08.2020

(2)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रीना बाई पत्नि श्री सतीराम मीना ग्राम खिरकन, पोस्ट मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–22.09.2020

1. पंचायत आम चुनाव 2020 की तैयारी में व्यस्तता के कारण अपील का निस्तारण किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी को सुनवाई हेतु दिनांक 25.08.2020, 02.09.2020, 08.09.2020, 14.09.2020, 21.09.2020 व 22.09.2020 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
4. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
5. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत मोंगेपुरा की प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित विभिन्न वर्गों की विभिन्न स्तरों पर अनुमोदित स्थाई प्रतीक्षा सूची, आवास प्लस एप पर अपलोड / नोट अपलोड की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची आदि कुल 14 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–जिपक / पीएमएबाई–जी / 2019–20 / 2554–56 दिनांक 24.08.2020 द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए प्रति इस न्यायालय में प्रेषित की है जिसके अनुसार अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रेषित कर दी गई है।
7. इस प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा उनके विनिश्चय से अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया है एवं सूचना प्रेषित कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार भी पेश नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिये जाने एवं अपीलार्थी द्वारा कोई प्रतिकार पेश नहीं किये जाने से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी, प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना से संतुष्ट है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
11. निर्णय आज दिनांक 22.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली